राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

क्रमांक : प.7(5)वित्त/एसपीएफसी/जांच/2019 जयपुर, दिनांक : 13 MAY 2022

आदेश

राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय परिसर द्वारा निविदा क्रमांक 593 दिनांक 27.08.2021 "The work of Paper Printing" के संदर्भ में जारी किये गये कार्य आदेश क्रमांक राज.संवाद/पेपर प्रिंटिंग/2021–22/926–36 दिनांक 18.11.2021 के अन्तर्गत फर्म को सूचीबद्ध करने तथा दर अनुमोदित करने के साथ–साथ निम्न उल्लेख किया गया है :–

"अनुमोदित फर्म से संलग्न दरों पर सभी विभाग, बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशाषी संस्थाएं, नगर निगम आदि राजस्थान संवाद के माध्यम से कार्य करा सकते हैं।"

राजस्थान संवाद द्वारा उक्त कार्य आदेश में इस प्रकार उल्लेख किया जाना उसकी सक्षमता से बाहर एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 का उल्लंघन है।

अतः समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान संवाद द्वारा जारी उक्त आदेश द्वारा सूचीबद्ध फर्म से उनके द्वारा अनुमोदित दरों पर कार्य कराया जाना तुरंत प्रभाव से बंद किया जावे। साथ ही विभागीय आवश्यकता से संबंधित पेपर प्रिंटिंग कार्य राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत उपलब्ध उपापन की विभिन्न पद्धतियों में से उपयुक्त पद्धति का चयन करते हुए कराया जाना सुनिश्चित करावें।

साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि कोई भी राजकीय विभाग, बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम एवं स्वायत्तशासी निकाय आदि दूसरे किसी अन्य राजकीय विभाग, बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम एवं स्वायत्तशासी निकाय द्वारा अनुमोदित दरों पर वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी भी प्रकार के उपापन की कार्यवाही नहीं करेंगे।

उपरोक्त निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव,समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर। 8. कोषाधिकारी समस्त ।
9. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
10. प्रबंध निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
11. समस्त राजकीय निगम/बोर्ड/स्थानीय निकाय/स्वायत्तशासी संस्थाएं।
12. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।

संयुक्त शासन सचिव